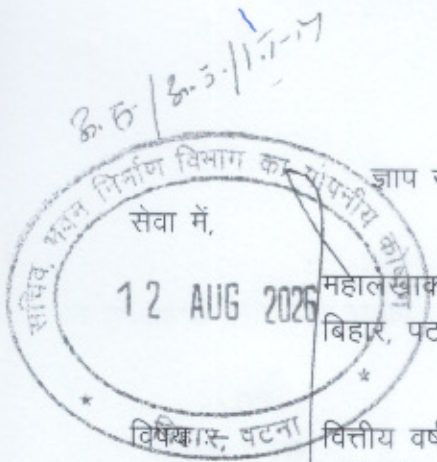


बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

20167  
11/8/26



ज्ञाप सं०-5/बजट (भ०नि०) 5-233/2026 -सा०-...../

सेवा में,

12 AUG 2026

महालखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।



2026

आदेश :-

स्वीकृत।

यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना स्कीम के अन्तर्गत गयाजी जिलान्तर्गत जिला अतिथि गृह में विभिन्न कार्य:-

| क्र० | कार्य का नाम                                                                                                                     | राशि                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1    | Provision supplying & Insatallation of Bed side Table, 2 seater sofa centre table at the old circuit house at Gayaji.            | ₹13,87,100/-        |
| 2    | Renovation and interior UPVC work of Circuit house at Gayaji.                                                                    | ₹3,29,000/-         |
| 3    | Supplying & Insatallation of furniture in reception area, meeting hall , corridor area at old circuit house at Gayaji.           | ₹14,93,100/-        |
| 4    | Renovation and interior work of Circuit house at Gayaji.                                                                         | ₹14,98,300/-        |
| 5    | Providing door & window Pelment door fitting accessories in the room of old circuit house at Gayaji.                             | ₹13,03,200/-        |
| 6    | Supplying & Insatallation of furniture, TV unit wordrobe and other in room old circuit house at Gayaji.                          | ₹14,88,600/-        |
| 7    | Repair & Renovation of Existing toilet wall & floor tiles work with all fitting item and mousselines at circuit house at Gayaji. | ₹14,48,200/-        |
|      | <b>Total</b>                                                                                                                     | <b>₹89,47,500/-</b> |

₹89,47,500/- (नवासी लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प सं० 12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में दी जाती है।

2. इस राशि के व्यय का विकलन बजट शीर्ष 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051 निर्माण-0104 परिसदन का निर्माण एवं संधारण सामान्य प्रशासन विभाग के लिए विपत्र कोड 03-4059600510104 के अन्तर्गत 53 01 मांग संख्या-03 के अन्तर्गत होगा।

3. राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कोषागार से करेंगे।

4. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त नियमावली, बिहार लोक निर्माण संहिता के अद्यतन संशोधित नियमावली एवं बिहार वित्त संशोधन नियमावली, 2005 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

5. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाय। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत निर्धारित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

6. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 दिनांक 17.04.98 में निहित निदेश एवं बंधेज तथा एतद् संबंधी वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य परिपत्र के आलोक में की जायेगी।

7. यह राशि राज्य योजना स्कीम के अन्तर्गत है।

8. राशि के व्यय विवरणी यथाशीघ्र भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

9. इस योजना की प्रशासनिक अनुमोदन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गयाजी के पत्रांक 2313 दिनांक 29.07.2026 एवं अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, गयाजी से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर दी गयी है।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
11. विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(संजय कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-5/बजट (भ0नि0) 5-233/2026 -सा0-.....14314...../पटना-15 दिनांक 07.08.26

प्रतिलिपि:- सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/बजट सलाहकार, वित्त विभाग, बिहार, पटना/  
जिला पदाधिकारी, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

१/१४/२६

सरकार के अपर सचिव